सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2019/00047

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : डा. गुजन सोनी, आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 25/2019

1. अम्पिल कुमार पुत्र श्री आनन्द कुमार जाति बिश्नोई निवासीयान 11 टी.के. तहसील रायसिंहनगर व जिला श्रीगंगानगर।
2. पवन कुमार पुत्र श्री सुशील कुमार जाति बिश्नोई निवासीयान 11 टी.के. तहसील रायसिंहनगर व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. लक्ष्मी पत्नी बनवारी लाल जाति बिश्नोई निवासी 11 टी.के. तहसील रायसिंहनगर व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व इन्तकाल संख्या 608 दिनांक 03.06.2016 को स्वीकृत किया गया को निरस्त करने हेतु।

उपस्थित :
1.श्री विक्रम बिश्नोई अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री विरेन्द्र सिंहाग अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

:: आदेश :: **दिनांक :– 13.03.2020**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि इन्तकाल आदेश अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून, तथ्यों के विधि विरूद्व पारित किया गया होने से निरस्त करने योग्य है। अपीलांट के दादा श्री राजाराम है और राजाराम के सग्गे भाई बनवारी लाल थे। बनवारीलाल व बनवारीलाल की पत्नी रेस्पोडेन्ट लक्ष्मी के कोई संतान नहीं थी और बनवारी लाल व लक्ष्मी अपने बड़े भाई राजाराम के साथ रहते थे। बनवारी लाल के नाम वाके चक 11 टी.के. तहसील रायसिंहनगर के मुरब्बा नम्बर 17 पत्थर नम्बर 198/294 के किला नम्बर 11 ता 14 की 4.00 बीघा, किला नम्बर 17 ता 24 की 8.00 बीघा व किला नम्बर 25 में 10 बिस्वा कुल 12.10 बीघा भूमि दर्ज जमाबन्दी थी और उक्त भूमि उनकी स्वयं की पैदाकर्ता भूमि थी। बनवारी लाल अपने भाई राजाराम के लड़के आनन्द कुमार व सुशील कुमार के साथ ही रहते थे और आनन्द कुमार व सुशील कुमार के लड़को से विशेष स्नहे व मोह रखते थे और बनवारी लाल के भतीजे आनन्द कुमार व सुशील कुमार का परिवार ही बनवारी लाल व लक्ष्मी की सेवा व सुर्षाक्षा करते थे। बनवारी लाल अपने भतीजे व अपीलांट की सेवा से खुश होकर अपने नाम की अपीलाधीन भूमि की वसीयत अपने दोनो पौतो अपीलांट के हक में दिनांक 13.12.2015 को बरोबरू गवाहान निष्पादित कर दी थी और बनवारी लाल की मृत्यु दिनांक 28.12.2015 को होने से अपीलांट अपीलाधीन भूमि के बहिस्सा बराबर मालिक व खातेदार हो गये थे। इसी वसीयतकर्ता बनवारी लाल ने अपनी वसीयत में ही यह अंकित कर दिया था कि यदि वसीयतकर्ता की मृत्यु पत्नी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

लक्ष्मी देवी रेस्पोडेन्ट से पहले हो जाती है तो लक्ष्मीदेवी अपने जीवनकाल में वसीयत रकबे से अपना स्वयं का भरणपोषण कर सकेगी परन्तु लक्ष्मी देवी को वसीयत रकबा के किसी भी तरीके से ईकरारनामा, रहन, बैयनामा आदि अन्तरण का अधिकार नहीं होगा। वसीयत रकबा के मालिक इस वसीयतनामा के आधार पर अपीलांट होगे और यह मेरी अन्तिम वसीयत है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विधि विरूद्व और खातेदार बनवारीलाल द्वारा अपीलाधीन भूमि की वसीयत निष्पादित करने के उपरान्त बनवारी लाल के नाम की अपीलाधीन भूमि का इंतकाल संख्या 608 दिनांक 03.06.2016 को विरास्तन स्वीकार करवा लिया, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विरास्तन इंतकाल करवाने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि खातेदार बनवारीलाल निंवसीयत देहान्त नहीं हुआ था क्योंकि खातेदार बनवारीलाल ने अपीलाधीन भूमि की वसीयत अपनी स्वेच्छा से बरोबरू गवाहन दिनांक 13.12.2015 को निष्पादित कर दी थी। इंतकाल संख्या 608 निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट व अपीलांट के पिता काबिज है। अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस किसी प्रकार का नहीं दिया गया और इंतकाल संख्या 608 अपीलांट से पोषीदा तौर पर विधि विरूद्व स्वीकृत किया गया है जो तथ्यो के विरूद्व व अपीलांट से छुपाकर दर्ज किया गया होने से अपीलांट इस आदेश को जानकारी से चुनौती देने के अधिकारी है। अपीलाधीन इंतकाल तहसीलदार भू–अभिलेख रायसिंहनगर द्वारा केवल स्वीकृत शब्द लिखकर स्वीकार किया गया है। इंतकला स्वीकृत करने का आदेश पूर्ण व स्पष्ट होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा इंतकाल स्वीकृत करने की शक्तियां ग्राम पंचायत को दी जा चुकी है। ग्राम पंचायत के द्वारा अपनी शक्तियों को सदुपयोग न करने की तहसीलदार हल्का इंतकाल स्वीकृत कर सकते थे। अपीलाधीन इंतकाल ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं हुआ। ऐसी सूरत में इंतकाल स्वीकृत आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पारित किया गया होने से निरस्त किये जाने योग्य है। खातेदार बनवारी लाल ने अपीलाधीन भूमि की वसीयत अपीलांट के पक्ष में निष्पादित कर घर में ही रख दी थी। अपीलांट भूमि पर काबिज है। अपीलांट ने वसीयत के आधार पर इंतकाल स्वीकृत करवाने हेतु नायब तहसीलदार मुकलावा के यहां आवेदन पत्र दिनांक 10.04.2019 को प्रस्तुत किया। इस पर नायब तहसीलदार ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट मंगवायी तो हल्का पटवारी ने दिनांक 22.04.2019 को बताया कि अपीलाधीन भूमि का इंतकाल संख्या 608 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से तस्दीक होने के बारे में कहा तो अपीलांट को सर्वप्रथम अपीलाधीन इंतकाल का ज्ञान दिनांक 22.04.2019 को ही हुआ। *इससे पूर्व अपीलांट को अपीलाधीन इंतकाल का कोई ध्यान नहीं था।* इंतकाल का ज्ञान दिनांक 22.04.2019 को होने से अपीलांट की अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत की जा रही है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी में छुट हेतु अलग से आवेदन पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम का पेश किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर वाके चक 11 टी.के. के मुरब्बा नम्बर 17 का इंतकाल संख्या 608 स्वीकृत दिनांक 03.06.2016 निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीन बहस में कथन किया कि बनवारी लाल के नाम वाके चक 11 टी.के. तहसील रायसिंहनगर के मुरब्बा नम्बर 17 पत्थर नम्बर 198/294 के किला नम्बर 11 ता 14 की 4.00 बीघा, किला नम्बर 17 ता 24 की 8.00 बीघा व किला नम्बर 25 में 10 बिस्वा कुल 12.10 बीघा भूमि दर्ज जमाबन्दी थी और उक्त भूमि उनकी स्वयं की पैदाकर्ता भूमि थी। बनवारी लाल

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

और आनन्द कुमार व सुशील कुमार के लड़को से विशेष स्नहे व मोह रखते थे और बनवारी लाल के भतीजे आनन्द कुमार व सुशील कुमार का परिवार ही बनवारी लाल व लक्ष्मी की सेवा व सुर्षाक्षा करते थे। बनवारी लाल अपने भतीजे व अपीलांट की सेवा से खुश होकर अपने नाम की अपीलाधीन भूमि की वसीयत अपने दोनो पौतो अपीलांट के हक में दिनांक 13.12.2015 को बरोबरू गवाहान निष्पादित कर दी थी और बनवारी लाल की मृत्यु दिनांक 28.12.2015 को होने से अपीलांट अपीलाधीन भूमि के बहिस्सा बराबर मालिक व खातेदार हो गये थे। इसी वसीयतकर्ता बनवारी लाल ने अपनी वसीयत में ही यह अंकित कर दिया था कि यदि वसीयतकर्ता की मृत्यु पत्नी लक्ष्मी देवी रेस्पोडेन्ट से पहले हो जाती है तो लक्ष्मीदेवी अपने जीवनकाल में वसीयत रकबे से अपना स्वयं का भरणपोषण कर सकेगी परन्तु लक्ष्मी देवी को वसीयत रकबा के किसी भी तरीके से ईकरारनामा, रहन, बैयनामा आदि अन्तरण का अधिकार नहीं होगा। वसीयत रकबा के मालिक इस वसीयतनामा के आधार पर अपीलांट होगे और यह मेरी अन्तिम वसीयत है। खातेदार बनवारीलाल र्निवसीयत देहान्त नहीं हुआ था क्योंकि खातेदार बनवारीलाल ने अपीलाधीन भूमि की वसीयत अपनी स्वेच्छा से बरोबरू गवाहन दिनांक 13.12.2015 को निष्पादित कर दी थी। अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट व अपीलांट के पिता काबिज है। अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस किसी प्रकार का नहीं दिया गया और इंतकाल संख्या 608 अपीलांट से पोषीदा तौर पर विधि विरूद्व स्वीकृत किया गया है जो तथ्यो के विरूद्व व अपीलांट से छुपाकर दर्ज किया गया है। लिहाजा अपील अपीलांट मंजूर फरमायी जकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.03.2019 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांटन को सुनवाई का मौका दिया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि बनवारी लाल के नाम वाके चक 11 टी.के. तहसील रायसिंहनगर के मुरब्बा नम्बर 17 पत्थर नम्बर 198/294 के किला नम्बर 11 ता 14 की 4.00 बीघा, किला नम्बर 17 ता 24 की 8.00 बीघा व किला नम्बर 25 में 10 बिस्वा कुल 12.10 बीघा भूमि दर्ज जमाबन्दी थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लक्ष्मी देवी पत्नी बनवारी लाल की एक ही वारिस थी जिसके कोई सन्तान नहीं थी। बनवारी के देहान्त के बाद नायब तहसीलदार मुकलावा द्वारा विरास्तन इन्तकाल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम से इन्तकाल संख्या 608 दिनांक 03.06.2016 जो स्वीकृत किया गया है वह विधिनुसार सही स्वीकृत किया गया है। मेरी पति द्वारा अपने जीवन काल में कोई वसीयत नहीं की गई। मेरे पति द्वारा अपने जीवनकाल में रूपयो की आवश्यकता हेतु कोई ईकरारनामा नहीं किया गया। मेरे विरूद्व इनके द्वारा रूपयो के लेनदेन हेतु एक फौजदारी प्रकरण 26/2018 अनवानी कृष्णलाल बनाम लक्ष्मी वगैरा दर्ज हुआ था जिसका निर्णय दिनांक 25.02.2020 को हो चुका है जिसमें कृष्णलाल का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण लक्ष्मी वगैरा अस्वीकार कर खारिज किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा वाके चक 11 टी.के. के मुरब्बा नम्बर 17 पत्थर नम्बर 198/294 का इन्तकाल संख्या 608 दिनांक 03.06.2016 जो स्वीकृत किया गया है वह विधिसम्मत् प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अपीलांटस को भूमि धारक बनवारीलाल द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त विवादित भूमि की

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

वसीयत निष्पादित करवाई हुई है जिसे रेस्पोडेन्टस द्वारा किसी न्यायालय से खारिज नहीं करवाया गया है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चक 11 टी.के. के मुरब्बा नम्बर 17 पत्थर नम्बर 198/294 का इन्तकाल संख्या 608 दिनांक 03.06.2016 जो स्वीकृत किया गया को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रायसिंहनगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह बाद आवश्यक एवं सम्यक जांच कर नामांतरकरण खोलने की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लोटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 13.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डा. गुजन सोनी)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर